

मनरेगा के दो नए लोकपाल नियुक्त

चर्चा में क्यों?

16 दिसंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिये राज्य में दो नए लोकपाल नियुक्त किये गए।

प्रमुख बिंदु

- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नियुक्त इन दो लोकपालों के साथ ही अब राज्य में 16 लोकपाल हो गए हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में राज्य के 27 जिले शामिल हैं।
- विभाग ने बताया कि विवेक शुक्ला को राजनांदगांव जिले के लिये और छत्र कुमार साहू को दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा जिलों के लिये लोकपाल नियुक्त किया गया है। नए लोकपालों ने कार्यभार संभाल लिया है।
- इसके साथ ही राज्य स्तर पर लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण में एक सदस्य की नियुक्ति भी की गई है। राजर्षि कुमार त्रिविदी तीन सदस्यीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के तीसरे सदस्य नियुक्त किये गए हैं।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि लोकपाल और प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति दो साल के लिये की गई है। उनका कार्यकाल क्रमशः दो वर्ष और एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है।